

THE M...
BIC...
Ginidin

8149

पत्रांक 516 दिनांक 2.11.2021

FEE 3100/-

संपत्ति - अवभार प्रमाणपत्र

अनुसूची 21- प्रपत्र संख्या 113

प्रमाण पत्र संख्या 228/21

आवेदन सं०

चूकि श्री G. Vishwanath sernjola Hanin... आवेदन किया है कि निम्नलिखित। सम्पत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण - पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 सं और उससे सम्बद्ध अनक्रमणियों में ता. 1.1.19 से ता. 30.06.20 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है :- Nil

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन कि तारीख	(क) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MAUZA MAKATRU Ginidin Ginidin	TAMANO 95	KHATANO 26 283 284		3	H01-0120000125000		A1

(क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) 1। बंधक पत्र के दशा में ब्याज का दर और भुगतान की अवधि दर्ज करे। बशर्ते कि उनके बारे में उल्लेख हो।

2। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने (सत्यापन की और) प्रमाणित तैयार किया -

(हस्ताक्षर) -

[Handwritten Signature]

(पदनाम)

(सत्यापन की सत्यापन) और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) -

[Handwritten Signature]

(पदनाम)

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय, गिरिडीह।



तारीख 2-11-2021

निबंधन-सहायकी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में, जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये, विवरण से भिन्न विवरण दे कर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनश) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किया जायेगा।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन, जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हो अथवा उनका प्रतिलिप लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसीलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भुल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूकि वर्तमान मामले में आवेदक *[Handwritten Signature]* अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूकि उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसीलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा, जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति (तलाशी की और) प्रमाणित तैयार किया -

(हस्ताक्षर) -

[Handwritten Signature]

(पदनाम)

(तलाशी की सत्यापन) और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

(हस्ताक्षर) -

[Handwritten Signature]

(पदनाम)

कार्यालय जिला निबंधन कार्यालय, गिरिडीह।



तारीख 21.11.2021

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण पत्र में, जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं, वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये, विवरण से भिन्न विवरण दे कर किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेज में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किया जायेगा।

(2) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन, जो व्यक्तियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हो अथवा उनका प्रतिलिप लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिविष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसीलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी, विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक... में अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूंकि उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसीलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा, जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।